न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 27 / 2024
निर्णय दिनांक : 18.06.2024
GCMS NO : 2024/ 125

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़

...............प्रार्थी

बनाम

1. मल्टीस्पेशटीचिकित्सालय, चिकित्सा विभाग, सुजानगढ़
2. ग्राम पंचायत बोबासर बीदावतान

................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एलआर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी राज पैरोकार
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2

निर्णय

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम ठरड़ा की भूमि खसरा संख्या 149 किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय खाता संख्या 01 में दर्ज रिकॉर्ड है जो रास्ता राजस्व नक्शे के अनुसार कटाणी जगह पर नहीं होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रचलित है। जिसको प्रार्थी संशोधित किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम करवाना चाहता है। भूमि खसरा संख्या 149 के लगते भूमि खसरा संख्या 570 / 324 रकबा 5.0074 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सिवायचक, खसरा संख्या 572 / 408 रकबा 7.6376 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सिवायचक है जिनके खातेदार को प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी बनाया गया है।
2. पक्षकारान व वादगत भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है इसलिए वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक, पटवारी प्रस्तुत कर निवेदन है कि संलग्न फर्द मौका में दर्शाये अनुसार ग्राम ठरड़ा के खसरा संख्या 149 रकबा 0.4426 किस्म गै.मु. रास्ता को संशोधित किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश फरमावें।
3. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी मल्टीस्पेश्टीचिकित्सालय, चिकित्सा विभाग, सुजानगढ़ की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ जिला चूरू ने अपने पत्रांक 1283 दिनांक 15.04.2024 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को स्वीकारते हुए निवेदन किया कि ग्राम ठरड़ा के खसरा संख्या 149 रकबा 0.4426 किस्म गै.मु. रास्ता को संशोधित किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने पर प्रार्थी मल्टी स्पेशिलिटी चिकित्सालय, चिकित्सा विभाग सुजानगढ़ को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि पूर्ण सहमति है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

4. प्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ ने हस्तगत प्रकरण में प्रभावित खसरा संख्या 571/324 पंचायत विभाग अलावा जोत नाकाबिल काश्त गोचर दर्ज होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया जिस पर सुना जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया प्रार्थी को संशोधित शीर्षक पेश करने का आदेश दिया गया जिस पर प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया।
5. अप्रार्थी संख्या 2 को तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम ठरड़ा के खसरा संख्या 149 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.4426 हैक्टेयर को मौके पर वर्तमान में चालू रास्ते से हटाकर संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा के मुताबिक नया प्रचलित रास्ता कायम किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
6. बहस उभयपक्ष सुनी गई।
7. पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात फर्द मौका रिपोर्ट तथा जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का तथा भू–अभिलेख की फर्द मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान खसरा संख्या 149 रकबा 0.4426 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता मौके पर बन्द है। आमजन की सुविधा हेतु नया संशोधित प्रस्ताव नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित है जो मौके पर चालू है। चूंकि प्रार्थी राजपैरोकार भू–धारक है तथा अप्रार्थीगण ने प्रस्तावित तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत अपने जवाब में कोई उजर आपति जाहिर नहीं की है इसलिए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

8. प्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ठरड़ा के खसरा संख्या 149 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्नक हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से मौका नक्शा में शुद्धि हेतु प्रस्तावित तरमीम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त किया जावे। हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट भी आदेश का ही भाग रहेगा। तहसीलदार सुजानगढ़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।
9. निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते